दिनांक- 03.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 09/26

महोबा पुलिस

पुलिस लाइन- वामा सारथी द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित

रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में वामा सारथी द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित, पुलिस परिवारों को मिला निःशुल्क परामर्श व दवाएं।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 03.05.2026 (रविवार) को रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं निःशुल्क दवा वितरण शिविर का सफल आयोजन किया गया।
- उक्त शिविर में डॉ. भारत कुमार अपनी टीम/स्टाफ सहित उपस्थित रहे, जिनके द्वारा पुलिस लाइन परिसर में आवासित पुलिस कर्मियों, उनके परिजनों एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया। इस दौरान विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जांचें भी की गईं तथा आवश्यकतानुसार होम्योपैथिक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया।
- चिकित्सा शिविर के माध्यम से उपस्थित लाभार्थियों को होम्योपैथिक पद्धति के लाभ, उपयोगिता एवं सामान्य बीमारियों में इसके प्रभावी उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस पहल से पुलिस परिवारों को न केवल स्वास्थ्य परामर्श मिला, बल्कि निःशुल्क उपचार की सुविधा भी प्राप्त हुई, जिससे सभी ने संतोष व्यक्त किया।
- कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे तथा आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।
- यह पहल पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं कल्याण के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दिनांक- 03.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 10/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-महोबकंठ

मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से नाबालिग अपहृता की सकुशल बरामदगी, काउंसलिंग उपरांत विधिक कार्यवाही प्रचलित।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपद में महिला सुरक्षा एवं गुमशुदा/अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

- दिनांक 02/05/2026 को मु0अ0सं0 49/2026 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित पीड़िता/अपहृता प्रियंका पुत्री चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा उम्र करीब 15 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरी कुर्मीन थाना महोबकंठ जनपद महोबा को सकुशल बरामद किया गया।

- बरामदगी के उपरांत पीड़िता के पिता/वादी चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र हरिश्चंद्र निवासी उपरोक्त को सूचना दी गई, जिस पर वह तत्काल थाना महोबकंठ उपस्थित हुए।

- तत्पश्चात मिशन शक्ति केन्द्र की पहल के तहत पीड़िता प्रियंका की काउंसलिंग कर उसका बयान अंकित किया गया। पीड़िता नाबालिग है, जिसके दृष्टिगत प्रकरण में समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना स्थानीय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक- 03.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 11/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-महोबकंठ

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने पाक्सों एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शंशाक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.05.2026 को श्रीमती वंदना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा एवं श्री रविकान्त गोंड, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के तहत उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा द्वारा थाना महोबकंठ पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-49/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त नरेश पुत्र प्रमोद अहिरवार, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम व थाना महोबकंठ जनपद महोबा को दिनांक 02.05.2026 को समय लगभग 21:00 बजे भूरा टूडर मोड़, बहद ग्राम महोबकंठ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है, जिससे जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. उ0नि0 रामबाबू यादव थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. रि0म0का0 कंचन कुमारी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेश पुत्र प्रमोद अहिरवार, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम व थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अपराध विवरणः-

मु0अ0सं0- 49/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

दिनांक- 03.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 12/26

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना-श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने जिलाबदर अपराधी को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शंशाक सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाछित/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर उ0नि0 जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 हाकिम सिंह मय हमराह हे0का0 भूपेन्द्र सिंह व रि0का0 धर्मेन्द्र कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 02.05.2026 को सलारपुर बांध की बायीं पट्टी के किनारे, बहद ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा से जिलाधिकारी महोदय महोबा द्वारा कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 डी-202107480000195 में दिनांक 23.01.2026 को 06 माह के लिए जिला बदर किए गए अभियुक्त भान सिंह उर्फ भन्नू यादव पुत्र हरगोविन्द यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त की जामा तलाशी में एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने एवं अवैध शस्त्र रखने के संबंध में थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 59/26 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट व मु0अ0सं0 60/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया है। जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

भान सिंह उर्फ भन्नू यादव पुत्र हरगोविन्द यादव, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. उ0नि0 हाकिम सिंह 2. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह 3. रि0का0 धर्मेन्द्र कुमार

महोबा पुलिस

दिनांक- 03.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 13/26

महिला थाना- परिवार परामर्श

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :-

परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 04 परिवारों में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

- मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।
- आज दिनांक 03.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।
- कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 16 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 04 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राज़ी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमन्त्रित किया गया है।
- परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।
- परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0कां0 साक्षी, म0कां0 आरती यादव, म0का0 मानसी, म0का0 तृप्ति सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर श्रीमती नीतू पालीवाल, श्रीमती अंशू शिवहरे, श्रीमती विभा पुरवार, श्री सुरेश जायसवाल, श्री शिवकुमार गोस्वामी आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।

दिनांक- 03.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 14/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-पनवाड़ी

मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से गुमशुदा युवती बरामद, काउंसलिंग उपरांत पिता के साथ भेजा गया।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- गुमशुदगी नं0 03/2026 से संबंधित गुमशुदा अंतिमा कुशवाहा पुत्री छत्रपाल कुशवाहा उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम बुडेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को सकुशल बरामद किया गया। बरामदगी के उपरांत गुमशुदा के पिता छत्रपाल कुशवाहा को सूचना दी गई, जिस पर वह थाना पनवाड़ी उपस्थित आए।
- तत्पश्चात मिशन शक्ति केन्द्र की पहल के तहत गुमशुदा अंतिमा कुशवाहा की काउंसलिंग कर उसका बयान अंकित किया गया। काउंसलिंग के दौरान अंतिमा कुशवाहा द्वारा बताया गया कि वह अपने पिता छत्रपाल कुशवाहा के साथ ही जाना चाहती है।
- गुमशुदा अंतिमा कुशवाहा को उसकी इच्छानुसार उसके पिता छत्रपाल कुशवाहा के साथ थाना हाजा से सकुशल एवं सम्मानपूर्वक रुखसत किया गया।
- उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-कुलपहाड़

दिनांक- 03.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 15/26

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ के विवेचकों के साथ की गयी समीक्षा बैठक— विवेचना निस्तारण व कानून-व्यवस्था पर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

आज दिनांक 03.05.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा थाना कुलपहाड़ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना स्तर पर संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान Yaksha App के प्रभावी उपयोग, अपराधियों के Criminal Verification, डिजिटल साक्ष्य संकलन हेतु e-Sakshya के समुचित प्रयोग, विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण (60/90 दिवस के भीतर), अपराध की रोकथाम (Prevention of Crime) एवं लंबित NBW (गैर जमानती वारंट) की शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विशेष बल दिया गया। प्रत्येक बिंदु की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपराधियों की प्रभावी निगरानी एवं सत्यापन की कार्यवाही सतत रूप से की जाए तथा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर लंबित NBW की तामीली शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अपराध की रोकथाम हेतु संवेदनशील स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यक पुलिसिंग कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

इसके उपरांत क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा थाना परिसर में नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान उन्हें पुलिस सेवा के मूल कर्तव्यों, अनुशासन, जनसंपर्क, टीम वर्क एवं आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा उनके व्यवहारिक परीक्षण रजिस्टर का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्हें ईमानदारी, सतर्कता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।